प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 1196/2003

जंगली राम और अन्य

अपीलार्थीगण (जेल में)...

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

प्रत्यर्थी...

हेतु विचारार्थ निर्णय

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर

एसडी/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक: 05 अक्टूबर, 2009

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 1196/2003

1. जंगली राम, पिता मुनि राम, उम्र 60 वर्ष, व्यवसाय श्रमिक, निवासी स्वयं का घर, नामनाकला, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग.)
2. दिनेश उर्फ दारोगा, पिता जंगली, उम्र 21 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी पिता का घर, नामकला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
3. दीपक टोप्पो, पिता जंगली राम, उम्र 22 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, निवासी पिता का घर, नामकला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. धर्मपाल, पिता गौतम राम, उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, निवासी पिता का घर, ग्राम चंद्रमेधा, पुलिस थाना प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
5. दिलीप टोप्पो, पिता जंगली राम, उम्र 19 वर्ष, व्यवसाय कुछ नहीं, निवासी पिता का घर, नामकला, अंबिकापुर, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

...अपीलकर्तागण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

...प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री ए.के. प्रसाद, अपीलार्थी क्र. 1, 2 और 5 के अधिवक्ता

श्री अरविंद सिंह, अपीलार्थी क्र. 3 के अधिवक्ता

श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थी क्र. 4 के अधिवक्ता

श्री संदीप यादव, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता

युगलपीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीश और

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायधीश

निर्णय

(05 अक्टूबर, 2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा** द्वारा उद्धोषित किया गया-

1. अपीलार्थीगणों ने द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 465/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश दिनांक 12-9-2003 के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 374 (2) के तहत यह दांडिक अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452, 302 सहपठित धारा 149 और 307 सहपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को क्रमशः 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास; 7 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना; आजीवन कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना और 7 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किए जाने पर विधि अनुसार अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 24-8-2002 को लगभग सुबह 6 बजे शिकायतकर्ता लल्ली नमना अपने घर में मौजूद था। उसके पिता जीवलाल, मोंगिया, सविता और बुधराम भी उनके घर में मौजूद थे। अपीलार्थीओं और अन्य अभियुक्तों ने घटना से एक दिन पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए डंडे, कुल्हाड़ी, तलवार और रॉड से जीवलाल पर प्रहार किया। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटें आईं। जब लल्ली और पारस ने हस्तक्षेप किया और बचाने की कोशिश की, तो उन पर भी अभियुक्तों ने प्रहार किया और उनके सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। अपराध करने के बाद, अभियुक्तगण वहाँ से चले गए। इस घटना को सविता, बुधराम, मोंगिया बाई आदि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा।

3. अंबिकापुर, जिला अस्पताल के वार्ड बॉय दसरू राम द्वारा दिनांक 24-8-2002 को 14:20 बजे प्रदर्श-पी/29 द्वारा मर्ग सूचना दी गई। ललित उर्फ लल्ली द्वारा दिनांक 24-8-2002 को 7:35 बजे दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, अपीलार्थीगणों और बबलू उर्फ विश्वनाथ तथा आरजू उरांव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। घायल

जीवलाल, ललित, पारस और रामफल को क्रमशः प्रदर्श-पी/31, प्रदर्श-पी/32, प्रदर्श-पी/33 और प्रदर्श-पी/34 द्वारा शासकीय अस्पताल, अंबिकापुर चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। जीवलाल, ललित और पारस की चिकित्सकीय विधिक परीक्षण प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श-पी/21, प्रदर्श-पी/22 और प्रदर्श-पी/23 हैं। जीवलाल की उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई। डॉ. जे.के. रेलवानी (अ.सा.-11) ने शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/27 के माध्यम से प्रस्तुत की। मृतक के शव की परीक्षण गवाहों की उपस्थिति में प्रदर्श-पी/2 के माध्यम से तैयार की गई। परीक्षण अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श-पी/35 के माध्यम से तैयार किया गया। चरकी बाई (प्रदर्श-पी/3), बबलू उर्फ विश्वनाथ (प्रदर्श-पी/4), दिनेश उर्फ दरोगा (प्रदर्श-पी/5) और दिलीप (प्रदर्श-पी/6) के मेमोरेंडम पर, अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात रक्त से सना कुल्हाड़ी, तलवार और 2 लोहे की छड़ें क्रमशः प्रदर्श-पी/7, प्रदर्श-पी/8, पी/9 और पी/10 के माध्यम से जब्त की गईं। दीपक (प्रदर्श-पी/13), धर्मपाल (प्रदर्श-पी/15) और जंगली (प्रदर्श-पी/16) के मेमोरेंडम पर, रक्त से सने बांस के डंडे क्रमशः प्रदर्श-पी/14, प्रदर्श-पी/17 और प्रदर्श-पी/18 के माध्यम से जब्त किए गए। हल्का पटवारी ने बुधराम और सुशीला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटनास्थल का नज़री नक्शा प्रदर्श-पी/20 तैयार किया। अभियुक्तों से ज़ब्त किए गए अपराध में प्रयुक्त हथियारों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया और चिकित्सक प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/24 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस घटना में, अभियुक्त दीपक टोप्पो को भी चोटें आईं और उसे प्रदर्श-डी/4 के तहत शासकीय अस्पताल, अंबिकापुर में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया और उसकी चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/25 है।

5. अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, अपीलार्थीगणों और अन्य सह-अभियुक्तों, पुष्पा बाई और चरकी बाई के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उपार्जित किया जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सुनवाई हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ। चूँकि सह-अभियुक्त बबली उर्फ रेणु, अर्जुन और बबलू नाबालिग थे, इसलिए उनके विरुद्ध किशोर न्यायालय में अलग से अभियोग पत्र दाखिल किया गया।

6. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी अभियुक्तणो के विरुद्ध धारा 148, 452, 506-बी, 302/149 और 307/149 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। आभियुक्तगण ने अपने अपराध स्वीकार नहीं किए।

7. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन मामले को स्थापित करने के लिए कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया, तत्पश्चात अभियुक्तगण के कथन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन मामले में उनके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों का खंडन किया, निर्दोष होने तथा और झूठा फँसाये जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थी दीपक टोप्पो ने प्रश्न क्रमांक 74 के उत्तर में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में यह भी कहा कि घटना के दिन लल्ली और पारस ने उस पर रॉड और लाठी से हमला किया था। शाम को झगड़े के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। दिनांक 24-8-2002 को वह रामकुमारी के घर गया था। उसी दिन उसे बटालियन लौटना था। रामकुमारी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उस समय रामकुमारी और उसका पति वहाँ नहीं थे। जब उसने पिछली रात की घटना के बारे में पूछताछ की, तो जीवलाल ने उस पर प्रहार कर दिया। जब वह रुका, तो पारस ने उस पर प्रहार कर दिया। जब वह भागा, तो लल्ली ने दरवाज़ा बंद कर दिया और पारस के प्रहार से वह अचेत हो गया। वह निर्दोष है, उसे नहीं पता कि जीवलाल, लल्ली और पारस को चोटें कैसे आईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अपीलार्थीओं को निर्णय के कंडिका-1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया, तथापि, अभियुक्त पुष्पा और चरकी बाई को संदेह का लाभ प्रदान कर सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

9. मृतक जीव लाल का मानववध होना विवादित नहीं है। वैसे भी, प्रत्यक्षदर्शी रामफल, लल्ली उरांव और पारस नाथ, जिन्हें उसी घटना में चोटें आईं थीं, के साक्ष्यों से, तथा डॉ. घनश्याम सिंह (अ.सा.-10), जिन्होंने मृतक के शरीर के विभिन्न भागों पर 8 चोटें (फटा एवं कटा हुआ) देखीं और अपनी चिकित्सीय-विधिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/21 प्रस्तुत की; एवं डॉ. जे.के. रेलवानी (अ.सा.-11), जिन्होंने मृतक का शव-परीक्षण (प्रदर्श-पी/27) किया और जिन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं और मृत्यु का कारण सिर की चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप खोपड़ी की हड्डी टूटने के कारण

कोमा को बताया, इन सभी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि जीव लाल की मृत्यु मानव वध थी।

- माथे के मध्य भाग पर 5 सेमी आकार का एक घाव कांटा लगा हुआ;
- एक टांका लगा हुआ घाव क्षैतिज रूप से खोपड़ी के मध्य में 6 सेमी आकार में रखा गया;
- बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर एक टांका लगा हुआ घाव, आकार 4 सेमी;
- दाहिने कान के पास 7 सेमी आकार का एक टांका लगा हुआ घाव;
- 2 सेमी x 5 सेमी आकार के 2 सतही घाव;
- बायीं ओर के पिन्ना पर 4 सेमी आकार के टांका लगा हुआ घाव;
- दाहिने पिन्ना का 3 सेमी आकार का सतही घाव;
- दाहिनी भौं पर 1 सेमी आकार के कटे हुए टांका लगा हुआ घाव;
- बाएं कान के पास 2 सेमी x ½ सेमी आकार का सतही घाव;
- बाएं कंधे पर 5 सेमी x 3 सेमी आकार का चोट;
- दाहिने कंधे पर 3 सेमी x ½ सेमी आकार का चोट;
- दाहिनी कोहनी पर 2 सेमी x ½ सेमी आकार का चोट;
- दाहिने अग्रबाहु पर 2 सेमी x ½ सेमी आकार का चोट;
- तर्जनी उंगली के बीच में अस्थिभंग;
- पसलियों के बीच के खोखले हिस्से में अधिजठर क्षेत्र पर कई छोटे-छोटे घाव;
- दाहिने नितंब (ग्लूटियल) क्षेत्र पर 2 सेमी x 1 सेमी आकार का चोट;
- दाहिनी जांघ के मध्य और अग्र तथा पश्च भाग में चोट;
- खोपड़ी के दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र पर 6 सेमी आकार का अस्थिभंग;
- खोपड़ी के मध्य भाग में 5 सेमी आकार का ऊर्ध्वाधर अस्थिभंग;
- मस्तिष्क पदार्थ में अत्यधिक अंतः-मस्तिष्कीय रक्तस्राव। थक्कायुक्त रक्त उपस्थित।

10. अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता ने लल्ली उरांव के साक्ष्य का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि प्रदर्श-पी/30 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन संदिग्ध और मनगढ़ंत दस्तावेज़ है, क्योंकि वह ललित उर्फ लल्ली उरांव की सूचना के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सूचना राम कुमारी ने दी थी, जिसका विचारण के दौरान परीक्षण नहीं कराया गया है। इसी घटना में, अपीलार्थी दीपक टोप्पो को भी अंबिकापुर के शासकीय अस्पताल (प्रदर्श-डी/4) भेजा गया था। डॉ. घनश्याम सिंह, जिन्होंने अपीलार्थी दीपक का परीक्षण किया, ने पश्चकपाल भाग पर तीन घाव, दाहिने कनपटी क्षेत्र पर एक घाव और बाएँ कनपटी पर एक घाव देखा, जैसा कि प्रदर्श-पी/25 में है। दिनांक 23-8-2002 की शाम को जब दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, तब उस समय अपीलार्थी दीपक उपस्थित नहीं था। दीपक के रामकुमारी और उसके पति बुधराम के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। घटना की तिथि को, सुबह 6 बजे, वह समझौते का प्रस्ताव लेकर विवाद सुलझाने के लिए उनके पास गया, हालाँकि, रामकुमारी और बुधराम घर पर उपस्थित नहीं थे। मृतक जीवलाल, पारस और लल्ली ने दरवाज़ा बंद करते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दीपक की चीख-पुकार सुनकर, अन्य अभियुक्तगण छत पर चढ़कर दीपक की जान बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुँच गए, क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष ने आगे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। दीपक जब बुधराम के घर गया तो वह निहत्था था और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किए गए हमले के कारण वह अचेत हो गया। स्वतंत्र गवाहों ने मेमोरेंडम और ज़ब्ती को सिध्द नहीं किया। घटना लल्ली के घर में नहीं हुई थी और अभियोग पत्र के साथ संलग्न नक्शा झूठा है। अभियोजन पक्ष ने दीपक के सिर पर विद्यमान चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अपराध की उत्पत्ति को छुपाया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित सभी गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं। उनके अभियुक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं और उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। घटना के एक दिन पूर्व, शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलार्थीओं पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप, अभियुक्तों को भी चोटें आईं थीं। उनकी शिकायत पर, मृतक, गवाह रामफल, लल्ली और बुधराम के खिलाफ अपराध क्र. 130/02 दर्ज किया गया था। उस घटना में, अपीलार्थी दिलीप, दिनेश और जंगलीराम को भी चोटें आईं थीं जिसका विवरण प्रदर्श-डी/6, प्रदर्श-डी/7 और प्रदर्श-डी/8 में वर्णित है। घटनास्थल, हमले के तरीके और जिस दिशा से अभियुक्तगण शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किए थे, इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों में पर्याप्त विरोधाभास है। गवाहों के बयानों में उनके पहले के बयानों से पर्याप्त विरोधाभास और विलोपन है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में अस्पष्ट और अत्यधिक विलंब हुआ। दीपक की चीखें सुनकर अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्तगण उसकी जान बचाने के लिए घटनास्थल पहुँच गए। दीपक के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और वह अचेत था।

11. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि घायल प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्हें उसी घटना में गंभीर चोटें आई थीं। घायल गवाह लल्ली ने अपीलार्थीओं के खिलाफ तत्काल शिकायत दर्ज कराई थी। कुल्हाड़ी, डंडा और तलवार आदि प्राणघातक हथियारों से सुसज्जित अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता पक्ष के घर पर हमला कर जीव लाल की निर्मम हत्या कर दी, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई। जब अन्य घायलों ने उसे बचाने की कोशिश की, तो अभियुक्तों ने उन पर भी हमला कर दिया और उन्हें गंभीर चोटें आई। घायल प्रत्यक्षदर्शियों की चोट संबंधी प्रतिवेदन डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है। दीपक को लगी चोट सामान्य थी और पीड़ितों द्वारा उन्हें बचाने की प्रयास के दौरान लगी थी।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के कंडिका-5 में विवेचन हेतु बिन्दुओं का निर्धारण करने के उपरांत, सभी अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506-ख के तहत आरोप से इस निष्कर्ष के आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि किसी भी घायल प्रत्यक्षदर्शी ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाह रिश्तेदार हैं और अभियुक्तों के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, यह प्रतिपादित किया गया है कि उनके साक्ष्य की समुचित मूल्यांकन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है।

ललित द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (प्रदर्श-पी/30) की सत्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, यह निष्कर्ष दिया है कि सहायक उपनिरीक्षक चंदेल

ने शिकायतकर्ता से अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान जानकारी प्राप्त की, प्राथमिकी दर्ज की और उसके बाद अस्पताल में उसके अंगूठे का निशान लिया। चूँकि प्राथमिकी शीघ्रता में दर्ज की गई थी, इसलिए प्राथमिकी में महिला अभियुक्तों के नाम उल्लेख नहीं हो सका हैं।

धारा 157 के अंतर्गत प्राथमिकी की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषण करने में 4 दिन की विलंब के तर्क के संबंध में, यह पाया गया है कि अभियुक्तों को दिनांक 24-8-2002 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें केस डायरी के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इन परिस्थितियों में, प्राथमिकी प्रेषण में हुई विलंब महत्वहीन है।

विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष दिया कि अभियुक्त पुष्पा, चरकी बाई और अन्य लोग परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी-डंडों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता के घर विवाद करने गए होंगे, हालांकि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उन्होंने घायल व्यक्तियों पर प्रहार किया था और तदनुसार, बचाव पक्ष का यह कथन कि वे निर्दोष हैं, स्वीकार कर लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी दीपक अपनी माँ, बहन और अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता के घर झगड़ा करने गया था। संभवतः, झगड़े के दौरान घायल व्यक्तियों ने उसे कुछ चोट पहुँचाई और इसी कारण, सभी अभियुक्त तलवार, रॉड, लाठी आदि से सुसज्जित होकर छत फांदकर और दरवाज़े से भी शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर गए और पारस, लल्ली और जीवलाल की तलाशी ली और उन्हें निर्ममता पूर्वक पीटा। कंडिका-29 में यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि दीपक की स्तिथि गंभीर नहीं थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह झगड़े में भाग लेने में असमर्थ था।

यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि चरकी और पुष्पा को छोड़कर, अन्य सभी अभियुक्तगण घातक हथियारों से सुसज्जित होकर जीवलाल, लल्ली और पारस की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से बुधराम के घर में प्रवेश किए और अपने उपरोक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, उन्होंने जीवलाल को घातक चोटें पहुँचाईं और उसकी मृत्यु कारित किया। उन्होंने लल्ली और पारस को जान से मारने के सामान्य उद्देश्य से उन्हे गंभीर चोटें पहुंचाई।

विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष दिया कि अभियोजन पक्ष स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्तों के मेमोरेंडम और उसके अनुसरण में की गई बरामदगी को सिद्ध करने में असफल रहा है। यह भी पाया गया है कि अपीलार्थी दीपक को उसी घटना में चोटें आईं थीं, हालाँकि, अभियुक्तों के इस तर्क को खारिज कर दिया गया है कि वह समझौता करके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बुधराम के पास गया था और यह भी पाया गया है कि विवाद के दौरान, संभवतः, शिकायतकर्ता द्वारा उसे कुछ चोटें पहुँचाई गई थीं।

प्रदर्श-पी/35 के नजरी नक्शे और प्रदर्श-पी/20 के मौका नक्शा में घटनास्थल का वर्णन लल्ली के घर के रूप में किया गया है, जो वास्तव में राम कुमारी के घर को संदर्भित करता है और अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विसंगति के संबंध में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिकी की सत्यता का गंभीर आपत्ति उठाई है। यह प्रबल तर्क दिया गया है कि शिकायत पूर्व-तिथि की है और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए जानबूझकर विलंबित की गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाली वास्तविक महिला, राम कुमारी, जिनके घर में घटना घटी थी, का परीक्षण नहीं करवाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर घटनास्थल को शिकायतकर्ता ललित के घर के रूप में बदल दिया है, जबकि घटना वास्तव में राम कुमारी के घर में घटी थी।

15. कथित तौर पर, प्रदर्श-पी/30 की शिकायत लल्ली द्वारा दिनांक 24-8-2002 को सुबह 7:35 बजे पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत को सहायक उपनिरीक्षक एम.एस. चंदेल (अ.सा.-13) द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिन्होंने कंडिका-1 में यह बयान दिया है कि प्रदर्श-पी/30 की शिकायत को शिकायतकर्ता ललित द्वारा दिनांक 24-8-2002 को सुबह लगभग 7:35 बजे दी गई सूचना के आधार पर 7 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, जबकि लल्ली उरांव (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि घटना अगस्त, 2002 की सुबह लगभग 5 बजे की है। अभियुक्तों के पूरे परिवार ने अलग-अलग दिशाओं से उनके घर में प्रवेश कर उन पर हमला किया, जिससे उनका बायाँ हाथ दो जगह से टूट गया और दाहिने हाथ में भी अस्थिभंग हो गया। चोटों के कारण वे अचेत हो गया और अगली सुबह अस्पताल में ही उन्हें होश आया। यह घटना राम कुमारी के घर पर हुई थी।

अचेत होने के कारण वे शिकायत दर्ज कराने खुद थाने नहीं गए। होश में आने के बाद भी उसने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। कंडिका 10 में उसने यह बात स्वीकार की कि शिकायत उसकी बहन राम कुमारी ने दर्ज कराई थी, हालाँकि उसने आगे कहा कि उसने स्वयं राम कुमारी को ये बातें बताई थीं।

16. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में दिनांक 28-8-2002 को प्रदर्श-पी/44 के माध्यम से प्राथमिकी की प्रति प्राप्त हुई। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्राथमिकी एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ है और यह निष्कर्ष कि विमल खलखो (अ.सा.-6) ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी, जहाँ दीदी मौजूद थीं। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर गई और घायलों को अस्पताल ले आई। सहायक उपनिरीक्षक चंदेल ने अस्पताल में ललित से सूचना प्राप्त की, उसे प्रधामिकी में दर्ज किया और उसके बाद अस्पताल में उसके अंगूठे का प्रमाण लिया। उपरोक्त निष्कर्ष प्राथमिकी दर्ज कराने वाली लल्ली और प्राथमिकी दर्ज करने वाले सहायक उपनिरीक्षक चंदेल के साक्ष्यों के विपरीत है। उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. यह सत्य है कि संहिता की धारा 157 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति प्रेषण में विलंब से प्रथम सूचना प्रतिवेदन संदिग्ध नहीं हो जाती, तथापि, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में मौजूद तात्विक विसंगति के दृष्टिगत, संबंधित न्यायालय को प्रथम सूचना प्रतिवेदन तुरंत न भेजना एक गंभीर दोष है, जिसे केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त, 2002 को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसलिए विलंब का कोई महत्व नहीं है।

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता पक्ष और अपीलार्थीओं के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे, अपीलार्थीओं द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में बताई गई कमियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। निस्संदेह, अपीलार्थी दीपक को भी उसी घटना में चोटें आईं और उसे प्रदर्श-डी/4 के तहत चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया और दिनांक 24-8-2002 को सुबह 8:30 बजे उसकी चिकित्सा जाँच की गई। डॉ. घनश्याम सिंह (अ.सा.-10) ने प्रदर्श-पी/25 की अपनी चोट प्रतिवेदन को सिद्ध कर दिया है और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई हैं:-

(1) पश्चकपाल अस्थि पर 2 x ¼ x ¼ x ¼ सेमी, 1 x ¼ x ¼ सेमी, 1 x ¼, x ¼ सेमी आकार के 3 कटे हुए घाव, तिरछे स्थित और थक्कायुक्त रक्त उपस्थित था।

(2) दाहिने कर्णीय भाग पर 5 x ½ x ¼ सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव, तिरछा स्थित और थक्कायुक्त रक्त उपस्थित था।

(3) बाएं कान के ऊपरी भाग पर ½ x ¼ x ¼ सेमी आकार का एक घाव था, जो आकार में अनियमित था और उसमें थक्कायुक्त रक्त उपस्थित था।

(4) दाहिनी पार्श्विका हड्डी पर 7 x ½ x ¼ सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव, तिरछा स्थित और थक्कायुक्त रक्त उपस्थित था।

(5) पश्चकपाल भाग पर ½ x ¼ x ¼ सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव।

चोट क्र. 1, 2, 4 और 5 के लिए उन्होंने एक्स-रे कराने की सलाह दी। हालाँकि, उन्होंने चोट क्र.3 को साधारण बताया। सभी चोटें किसी कठोर और नुकीले/भारी वस्तु से लगी थीं। हालाँकि, कोई एक्स-रे प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उसे प्रमाणित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. (अ.सा.-13) सहायक उपनिरीक्षक चंदेल ने इस बात को अस्वीकार किया है कि दीपक पहले थाने आया था और प्रतिवेदन दर्ज कराई थी। उन्होंने इस बात को भी अस्वीकार किया कि दीपक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की गई है। हालाँकि, दीपक को चोट लगने और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजे जाने के कारणों और परिस्थितियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न होने के कारण, अपीलार्थीओं का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अपराध की उत्पत्ति को दबाया है, संभाव्य प्रतीत होता है। यदि अन्वेषण अधिकारी ने इसका पता लगाने का प्रयास किया होता, तो घटना के बारे में बचाव पक्ष का बयान सामने आ सकता था और अन्वेषण एकपक्षीय नहीं होता।

20. अ.सा.-2 रामफल के साक्ष्य का सार यह है कि वह जीवलाल का सगा भाई है, जबकि घायल पारस उसका सगा मामा है। घटना के दिन वह लल्ली, पारस, बुधराम, सविता, सविता की बहन और सविता की नानी घर पर मौजूद थे। वह सुबह 5:30 बजे लल्ली के साथ शौच के लिए खेत की ओर गया था। लगभग 6 बजे जब वे पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए, तो उसने देखा कि अभियुक्तगण उनके साथ गली-गलौच कर रहे थे। सभी अभियुक्त लाठी-डंडों से सुसज्जित होकर उसके घर की ओर आ रहे थे। उसने घर के अन्य सदस्यों को जगाया और यही बात बताई। जीवलाल और पारस जाग गए जबकि अन्य अभी भी सो रहे थे। अपीलार्थी दीपक, दोनों महिला अभियुक्त और एक नाबालिग लड़की घर में प्रवेश किए। दीपक, उसकी माँ और पुष्पा लाठी पकड़े हुए थे। वे पूर्वी दरवाजे से प्रवेश किए जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्ति, दरोगा, विश्वनाथ, बबलू, जंगली, अर्जुन और धर्मपाल पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किए। बबलू तलवार से सुसज्जित था, दरोगा रॉड से सुसज्जित था, धर्मपाल कट्टा से सुसज्जित था, दिलीप लाठी से सुसज्जित था, अर्जुन रॉड से सुसज्जित था। अभियुक्तों ने जीवलाल पर प्रहार किया, जो जमीन पर गिर गया। जब पारस और लल्ली ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अभियुक्तों ने उन दोनों पर भी प्रहार किया। जब रामफल ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो जंगली ने उसकी कमर पर ईंट से प्रहार किया। उसने पास पड़े एक पाइप से बचाव करने की कोशिश की। जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, बबलू ने उसके सिर पर तलवार से वार कर दिया, वह बच गया। हालाँकि, दूसरे हमले में उसके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली कट गई। इसके बाद वह घटनास्थल से भागकर अपने चाचा के घर चला गया और रात 2-3 बजे अंबिकापुर अस्पताल पहुंचा। उसकी बहन रामकुमारी की ब्रेड फैक्ट्री है। बबलू आदि रामकुमारी से विवाद करते-करते रोटी खा रहे थे। घटना के दिन अभियुक्तगण झगड़ पड़े क्योंकि जीवलाल ने बबलू को रामकुमारी से विवाद करने से मना किया था। वह अभियुक्तगणों से मेमोरेंडम और जब्ती का गवाह भी है। हालाँकि, उसने अपनी उपस्थिति में पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों से किसी भी तरह की पूछताछ किए जाने को अस्वीकार किया है, हालाँकि उसने प्रदर्श-पी/3 से प्रदर्श-पी/10 तक के मेमोरेंडम और जब्ती में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया है कि घटना के एक दिन पहले शाम को उसने जीवलाल, लल्ली और बुधराम के साथ मिलकर जंगली, दिलीप और दिनेश पर प्रहार किया था। हालाँकि, उसने स्वीकार किया है कि दिलीप की शिकायत के आधार पर उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक दांडिक प्रकरण दर्ज किया

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पिछली रात जीवलाल, लल्ली और पारस के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि दीपक पुलिस में आरक्षक है। वह रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गांव आया था। पिछली रात जब झगड़ा हुआ तब वह उपस्थित नहीं था। रात के विवाद के बाद दीपक अकेला आया था, हालांकि, उसने कहा कि वह दरवाजे पर लात मार रहा था। उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी दीपक समझौता करके विवाद को सुलझाने आया था। उन्होंने इस बात को भी अस्वीकार किया कि जीवलाल, लल्ली और पारस ने दरवाजा बंद कर दिया और दीपक के साथ मारपीट की और उसकी चीखें सुनकर बबलू छत पर चढ़ गया और दीपक को बचाने के लिए अंदर आया और उसने लल्ली से रॉड छीनने के बाद जीवलाल पर हमला किया। उन्होंने इस बात को भी अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, क्योंकि वह पिछली रात के विवाद के बाद परसोड़ी गांव भाग गया था। उन्होंने इस बात को भी अस्वीकार किया कि पिछली रात की घटना में उसे चोटें आई थीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. इस गवाह को प्रदर्श-डी/1 के डायरी बयान के साथ सामना कराया गया है जिसमें शौच हेतु जाने के उपरांत लौटने और पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के बारे में लोप है; उस समय आरोपी व्यक्ति गाली दे रहे थे, परिवार के सदस्यों को जगा रहे थे और उन्हें अभियुक्तों द्वारा हमला करने के लिए आने की सूचना दे रहे थे; अपीलार्थी दीपक, दो महिला अभियुक्त और एक नाबालिग लड़की पूर्वी दरवाजे से प्रवेश किए आए और अन्य अभियुक्त पिछले दरवाजे से प्रवेश किए; अभियुक्त धर्मपाल चाकू पकड़े हुए था, अर्जुन और दरोगा रॉड और दिलीप फावड़ा लिए उपस्थित थे। हालांकि, गवाह ने दावा किया है कि उन्होंने उपरोक्त तथ्यों को पुलिस को बताया था। प्रति-परीक्षा में बबलू द्वारा तलवार से उस पर हमला करने के संबंध में डायरी बयान में लोप की ओर भी इंगित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली कट गई थी।

22. अ.सा.-4 लल्ली उरांव ने बयान दिया है कि वह और अभियुक्तगण नामनाकला निवासी हैं। वह अपने भाई जीवलाल के घर में रह रहे हैं। अभियुक्तगण का घर उसके घर से 50 मीटर की दूरी पर है। अभियुक्तगण दीपक, बबलू, जंगली, दरोगा का पूरा परिवार अगस्त, 2002 के माह में लगभग 5 बजे सुबह उनके घर में प्रवेश किया। उनमें से आधे लोग सामने के दरवाजे से प्रवेश किए, जबकि अन्य पीछे के दरवाजे से प्रवेश किए। पहले उन्होंने जीवलाल पर हमला किया, तत्पश्चात पारस पर। वह कमरे में छिप गया, लेकिन

कुछ लोग छत फांदकर उसके कमरे में प्रवेश किए। डर के कारण वह बक्से में छिप गया, किन्तु उसे बक्से से बाहर निकाल लिया गया। धर्मपाल ने जीवलाल के हाथ पर लाठी से प्रहार किया, जिससे उसका बायाँ हाथ दो जगह से टूट गया और दाहिनी कलाई अस्थिभंग हो गया। दीपक ने उसके सिर पर रॉड से प्रहार किया। उन्होंने ईंट-पत्थर से भी हमला किया। बबलू के हाथ में तलवार थी। उसने जीवलाल पर तलवार से हमला किया, जिससे जीवलाल अचेत हो गया। गवाह भी अचेत हो गया। अस्पताल में उसे होश आया। घटना इसलिए हुई क्योंकि जीवलाल ने बबलू को अपनी बहन रामकुमारी से विवाद करने से मना किया था। बबलू और दरोगा ब्रेड फैक्ट्री में शराब पीकर ब्रेड खाते और गालियाँ देते थे। उन्होंने दीपक पर प्रहार किए जाने को अस्वीकार किया है। वह यह नहीं बता सकते कि दीपक को चोटें कैसे आईं, क्योंकि वह अपने कमरे के अंदर था। उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि वह यह नहीं देख पाए कि उनके कमरे के बाहर किसने किस पर हमला किया। अभियुक्त उसके भाइयों पर हमला करने के बाद उसके कमरे में घुस आए। उस समय, उसने दीपक के सिर पर कोई चोट नहीं देखी थी। उसने इस बात से अस्वीकार किया है कि पूर्व रात्रि उसने जीवलाल, पारस और बुधराम के साथ मिलकर दिलीप, दिनेश और जंगली पर हमला किया था और दिलीप का हाथ तोड़ दिया था। उसने स्वीकार किया है कि पूर्व रात्रि जब घटना हुई थी, तब दीपक घर पर उपस्थित नहीं था। उसने इस बात से अस्वीकार किया है कि जब दीपक समझौता करने आया था, तो शिकायतकर्ता पक्ष ने दरवाज़ा बंद करके उसकी पिटाई की थी और उसकी चीखें सुनकर बबलू छत फांदकर घर में प्रवेश किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. अपनी प्रति-परीक्षा के कंडिका 17 और 18 में, उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियुक्तगण ने जीवलाल और पारस पर हमला किया था, तत्पश्चात वे छत फांदकर उसके कमरे में प्रवेश किए और धर्मपाल ने उसके दाहिने हाथ पर डंडे से हमला किया, जबकि दीपक ने उसके सिर पर रॉड से हमला किया। उसने यह स्वीकार किया है कि वह उपरोक्त तथ्य प्रथम बार न्यायालय के समक्ष बता रहा है।

24. अ.सा.-5 पारसनाथ भी एक घायल साक्षी है। उसने भी बयान दिया है कि घटना के दिन सूर्योदय के समय जंगली का पूरा परिवार उनके घर आया। दीपक, अर्जुन, दरोगा, जंगली समेत कुल 10 व्यक्ति थे। उनके हाथों में डंडा, चाकू, तलवार और ईंटें थीं। उन्होंने जीवलाल पर हमला कर दिया। जब उसने बीच-बचाव किया, तो उन्होंने उसके साथ भी

मारपीट की। उन्होंने लल्ली और रामफल के साथ भी मारपीट की। जीवलाल अचेत हो गया और उसके बाद सभी उसे मृत समझकर चले गए। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उसने स्वीकार किया है कि वह 8 अभियुक्तगण के नाम नहीं जानता और उसने पुलिस को उनके नाम नहीं बताए। उसे नहीं पता कि उसके बयान में इन 8 अभियुक्तगण के नाम कैसे लिखे गए। घटना के समय लल्ली उपस्थित था। उसने आगे बताया कि जब वे सो रहे थे, दीपक अकेला आया और उसके बाद वापस लौट गया। अभियुक्तगन बाद में पुनः आए। उसे ज्ञात नहीं कि दीपक पर किसी ने हमला किया था या नहीं। दीपक सामने के दरवाजे से आया था। उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया है कि दीपक के घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और तत्पश्चात बबलू छत फांदकर प्रवेश किया। प्रति-परीक्षा में उसने बताया कि उसने केवल 3 व्यक्तियों के नाम लिए थे - दीपक, अर्जुन और दरोगा तथा अभियुक्तों की संख्या भी बताई थी। उसने दस्तावेज़ में दीपक की सही पहचान की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अ.सा.-3 सविता उरांव, जो बुधराम (अ.सा.-9) की पुत्री है। उसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के दिन सुबह अभियुक्तगण उसके घर आए और पारस, जीवलाल, लल्ली और रामफल पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप जीवलाल की मृत्यु हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालाँकि, प्रति-परीक्षा में उसने यह कथन किया है कि घटना के समय वह घर के पीछे स्थित कुएँ की ओर गई थी, इसलिए उसे नहीं पता कि दीपक पर जीवलाल और लल्ली ने हमला किया था या नहीं। उसने आगे कहा है कि उसकी उपस्थिति में पीछे से कोई भी अंदर नहीं आया। वह यह नहीं देख सकी कि पहले कौन आया और वह अभियुक्तों के घर से जाने के बाद ही घर के अंदर आई। उसने स्वीकार किया है कि वह कुएँ की तरफ गई थी, इसलिए वह यह नहीं देख सकी कि मारपीट किस प्रकार हुई।

26. अ.सा.-7 मुंगिया बाई ने बयान दिया है कि जीवलाल, पारस, लल्ली और उसके अलावा घर में कोई और महिला उपस्थित नहीं थी। बुधराम शौच के लिए गया था और झगड़ा समाप्त होने के बाद ही लौटा। उसने बबलू के अलावा किसी और अभियुक्त का नाम नहीं लिया।

27. 14 वर्षीय बाल साक्षी सुशीला मिंज (अ.सा.-8) ने भी बयान दिया है कि सभी अभियुक्त उसके मामा जीवलाल पर हमला कर रहे थे। हालाँकि, वह उनके नाम नहीं जानती। बबलू ने तलवार से हमला किया। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है और उससे प्रति-परीक्षा की है। बचाव पक्ष की प्रति-परीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी और वह केवल अपने पिता और अधिवक्ता के निर्देश पर ही गवाही दे रही है।

28. बुधराम उरांव (अ.सा.-9) मेमोरेंडम और ज़ब्ती का गवाह है, हालाँकि, उसने इस बात को अस्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने उसकी उपस्थिति में कोई मेमोरेंडम बयान दिया था या उनके प्रकटीकरण बयान पर उनसे कोई वस्तु ज़ब्त की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय द्वारा प्रश्न करने पर, उसने बताया कि जब वह शौच से लौटा, तो उसने सभी अभियुक्तों को अपने घर से बाहर आते देखा। एक लड़के ने उसे बताया कि उसके घर में मारपीट हो रही है, जिसके आधार पर उसने बताया कि वे मारपीट करके बाहर आ रहे थे। उसने आगे बताया कि जब अभियुक्त घर से बाहर आ रहे थे, तब उनके हाथ में डंडा, रॉड, तलवार आदि थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. डॉ. घनश्याम सिंह (अ.सा.-10) ने जीवलाल, ललित उरांव और पारस की भी परीक्षण किया है और उनकी चिकित्सीय विधिक परीक्षण प्रतिवेदन को क्रमशः प्रदर्श-पी/21, प्रदर्श-पी/22 और प्रदर्श-पी/23 के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रदर्श-पी/21 की चोट प्रतिवेदन में, उन्होंने जीवलाल के शरीर पर खोपड़ी, बाएँ कान, दाएँ कान, दाएँ भौंह और बाएँ पार्श्विका अस्थि पर 8 कटे और फटे हुए घावों का वर्णन किया है। परीक्षण के समय जीवलाल अचेत था। चोट क्र. 1, 2 और 7 घातक थीं। सभी चोटें किसी कठोर और नुकीली वस्तु से कारित की गई।

30. उन्होंने ललित उरांव की चिकित्सकीय विधिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया है:-

> "(1) कंधे के नीचे बाएँ अग्रबाहु पर सूजन, बाएँ घुटने के पिछले हिस्से पर कटा हुआ घाव। बाएँ ह्यूमरस की अस्थि टूटी हुई थी।
>
> (2) पश्चकपाल हड्डी पर 12 x 2 सेमी गहरा एक घाव था। जिसमे अस्थि दिखाई दे रही थी।

(3) पार्श्विका अस्थि पर 5 x 1½ सेमी अस्थि गहराई का एक कटा हुआ घाव।

(4) पश्चकपाल अस्थि पर 9 x 1½ x 1 सेमी आकार का एक घाव।

(5) दाहिने हाथ की बांह पर 9 x 6 सेमी आकार की एक सूजन।

(6) दाहिनी जांघ और दाहिनी स्कैपुलर भाग पर 2 खरोंचें।"

चोट क्र. 1, 2, 3 और 4 के लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई।

31. इसी प्रकार, प्रदर्श-पी/23 की चिकित्सकीय विधिक परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, डॉक्टर ने पारस के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कुल 13 चोटें देखीं। उन्होंने चोट क्र. 1 से 8 के लिए एक्स-रे परीक्षण कराने की सलाह दी। चोट क्र. 1 और 2 किसी कठोर और नुकीली वस्तु से कारित की गई थीं, जबकि अन्य चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से भी लग सकती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. प्रत्यक्षदर्शियों, विशेष रूप से रामफल (अ.सा.-2), लल्ली उर्फ ललित (अ.सा.-4) और पारस (अ.सा.-5) के साक्ष्यों की गहन परीक्षण से, हमें प्रतीत होता है कि प्रारंभ में अपीलार्थी दीपक, चरकी, पुष्पा और एक नाबालिग लड़की घर के मुख्य द्वार से आए थे और उसके कुछ देर बाद अन्य अभियुक्तगण चाकू, तलवार, लाठी आदि से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर पहुँचे। अभिलेखों में यह साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्त बबलू और कुछ अन्य लोग छत फांदकर घर में घुसे थे। हमने यह भी पाया है कि अपीलार्थी दीपक को उसी घटना में चोटें आई थीं, हालाँकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतक के शरीर पर लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने दीपक को किसी भी तरह की चोट पहुँचाने से साफ़ इनकार किया है। हमने पूर्ववर्ती कंडिकाओं में यह भी पाया है कि प्राथमिकी संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष ने अपराध की उत्पत्ति को छिपाने का प्रयास किया है। यह तथ्य कि कुछ अभियुक्त छत फांदकर घर के भीतर आए थे, अभियुक्तों के बचाव में यह संभावना पैदा करता है कि अपीलार्थी दीपक समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाने के आशय से अकेले आया था। शिकायतकर्ता पक्ष ने मुख्य दरवाज़ा बंद करके उस पर हमला किया और उसकी चीख-पुकार सुनकर ही अन्य अभियुक्त उसे बचाने के लिए हथियारों से सुसज्जित होकर वहाँ पहुँच गए। पारस ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है कि दीपक प्रारंभ में अकेला आया था और वापस लौट गया। अपीलार्थी दीपक और अन्य दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों, अर्थात चरकी और पुष्पा, के विरुद्ध आरोपों की

प्रकृति एक सामान है, हालाँकि रामफल ने अपनी मुख्य परीक्षण में आरोप लगाया है कि दीपक ने उस पर हमला किया था। हालाँकि, यह तथ्य उसके प्रदर्श-डी/1 के डायरी कथन में उल्लिखित नहीं है और उसने न्यायालय में प्रथम बार यही गवाही दी है।

33. अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए; तथ्य यह है कि अपीलार्थी दीपक अन्य अभियुक्तों से पहले अलग से शिकायतकर्ता पक्ष के घर गया था; पूर्व रात्रि जब दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था तब वह उपस्थित नहीं था; घटना के दौरान उसके सिर पर भी कई चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसके कान से रक्तस्राव भी हुया था और डॉक्टर ने खोपड़ी का एक्स-रे कराने की सलाह दी थी; उसे लगी चोटों के कारण के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उसकी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है; प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया गया है और राम कुमारी, जिसके घर में घटना हुई थी और जिसने संभवतः घटना के बाद पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी, का परीक्षण नहीं कराया गया है, हमारा यह मत हैं कि अपीलार्थी दीपक का यह प्रतिरक्षा कथन कि उसकी राम कुमारी और बुधराम के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वह अपने परिवार के सदस्यों और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच समझौते के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए उनसे मिलने गया था और शिकायतकर्ता पक्ष ने दरवाजा बंद करने के बाद उस पर हमला किया, संभाव्य है। हमारा यह भी मानना है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी दीपक अन्य अभियुक्तों की विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था, जिन्होंने हथियारों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता पक्ष के घर पर हमला किया था और उसका विवाद अन्य महिला अभियुक्तों पुष्पा और चरकी के समान है, जिन्हें संदेह का लाभ देकर विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. हमारे विचारार्थ दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अन्य अभियुक्तों अर्थात् जंगली राम, दिनेश, धरमपाल और दिलीप के विरुद्ध अपना विवाद स्थापित कर दिया है कि उन्होंने अन्य किशोर अभियुक्तों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया तथा जीवलाल की हत्या करने तथा पारस और लल्ली उर्फ ललित की हत्या का प्रयास करने के अपने सामान्य उद्देश्य दस अग्रसरण में अपराध किया?

35. विचारण न्यायालय मूलतः रामफल (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपरोक्त अपीलार्थी उस अवैध जमाव का हिस्सा थे, जिन्होंने घातक हथियारों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया और जीवलाल की हत्या कर दी तथा पारस और ललित की जान लेने का प्रयास किया। निस्संदेह, घटना उसी परिसर में घटी जिसमें घायल साक्षी लल्ली, बुधराम और उसकी पत्नी राम कुमारी रहते थे, हालाँकि अलग-अलग कमरों में एक-दूसरे के बहुत समीप। जगह के बारे में विसंगति है कि घटना प्राथमिकी में उल्लिखित लल्ली के घर में हुई या राम कुमारी के घर में। हालाँकि, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि राम कुमारी का घर शिकायतकर्ता के घर से केवल 5 मीटर की दूरी पर है, हमारा मत है कि यह इस संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं हो सकता।

36. यह भी दक्षतापूर्वक तर्क दिया गया कि जिस परिसर में घटना घटी थी, उसमें उपरोक्त अपीलार्थीओं के प्रवेश के संबंध में गवाहों के बयान में पर्याप्त विसंगति है और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह विश्वसनीय नहीं हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, (अ.सा.-2) रामफल के साक्ष्य के यथोचित मूल्यांकन पर, विचारण न्यायालय ने यह माना है कि उपरोक्त अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर जीवलाल, लल्ली और पारस की हत्या के समान उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बुधराम के घर में प्रवेश किए और अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रेषित करने, उन्होंने जीवलाल को घातक चोटें पहुँचाईं और उसकी मृत्यु का कारण बने। उन्होंने लल्ली और पारस को भी गंभीर चोटें पहुँचाईं और उनकी जान लेने की प्रयास किए। इन अपीलार्थीओं की उपस्थिति रामफल (अ.सा.-2) के साक्ष्य से विधिवत रूप से स्थापित हो गई है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सभी घातक हथियारों से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर आए और जीवलाल पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। जब लल्ली और पारस ने बीच-बचाव करने की प्रयास किया, तो उन पर भी हमला किया गया। अपीलार्थीओं ने उस पर भी हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। हालाँकि उसके इस बयान में विरोधाभास है कि उसी दिन डॉक्टर ने उसकी परीक्षण की थी, जबकि उसकी चिकित्सकीय विधिक परीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि उसकी परीक्षण अगले दिन अर्थात 25 अगस्त, 2002 को हुई थी। हालाँकि, उसके इस बयान की पुष्टि दो अन्य घायल प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, लल्ली और पारस, के साक्ष्य से भी होती है। अ.सा.-3

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सविता उरांव, जो उसी परिसर में निवास करती हैं, सुशीला मिंज (अ.सा.-8) और बुधराम उरांव (अ.सा.-9) इस तथ्य के साक्षी हैं कि घटना वाले दिन अभियुक्तगण शिकायतकर्ता पक्ष के घर आए थे और उन्होंने मारपीट समाप्त होने के पश्चात उन्हे घर से बाहर निकलते हुए भी देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि अभियुक्तगण हथियारों से सुसज्जित थे। इस प्रकार, हमारा मत है कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति हथियारों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता पक्ष के घर में प्रवेश किए और मृतक और 3 घायल व्यक्तियों पर हमला किया, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। उपरोक्त गवाहों के पूर्व डायरी बयानों में लोप प्रकृति में मामूली हैं और गवाहों के साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन और उपरोक्त लोपो के आधार पर, घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों के पूरे साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब गवाहों को एक ही घटना में चोटें आई हों।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

37. आगे यह तर्क दिया गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि अभियुक्तगण ही जीवलाल, लल्ली और पारस को चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, जिसके परिणामस्वरूप जीवलाल की मृत्यु हो गई, यह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था, क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलार्थी दीपक को अपने घर में बंद करने के बाद उस पर हमला करना प्रारंभ कर दिया था। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और अगर अन्य अभियुक्त दीपक को बचाने के लिए आगे नहीं आते, तो शिकायतकर्ता उसकी मौत का कारण बन सकते थे। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि अपीलार्थीओं ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए अपने बचाव में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की है और उन्होंने अपने बयानों में भी इस प्रतिरक्षा का सहारा नहीं लिया है, तथापि, यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य उपरोक्त तथ्य को स्थापित करते हैं, तो उस स्थिति में, वे इस आधार पर दोषमुक्त होने के पात्र हैं कि जीवलाल की मृत्यु और पारस तथा लल्ली को शारीरिक चोट अपीलार्थी दीपक के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था।

38. **सुब्रमणि एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

[1] 2002 सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण (दांडिक) 1659

"यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार यह मान लिया गया कि अभियुक्त के पास निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है और उसे यह उचित आशंका है कि यदि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो परिणामतः मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति होगी, तो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, हमलावर की स्वेच्छा से मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित हो गया।"

39. **काशीराम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के प्रकरण में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में प्रावधान है कि अभियुक्त के कथित कृत्य को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत अपराध मानने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार अभियुक्त पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव को मान लेगा। हालाँकि, अभियुक्त पर यह भार अभियोजन पक्ष जितना भारी नहीं है। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को पूरी तरह से, यानी किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे, सिद्ध करना होगा, लेकिन अभियुक्त को एक विवेकशील व्यक्ति के मानदंड पर खरा उतरना होगा। यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसी संभावनाओं की अधिकता है जो अभियुक्त द्वारा दिए गए तर्क को विश्वसनीय बनाती है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रति-परीक्षा में या धारा 313 द.प्र.स. के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयान में या बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके निजी बचाव का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। मामले में उपस्थित संभावनाओं और परिस्थितियों के आधार पर, तर्क के दौरान भी इसे उठाया जा सकता है। यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[2] 2002 सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण (दांडिक) 68

बुनियादी आपराधिक न्यायशास्त्र है कि किसी अभियुक्त को गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और केवल इसलिए बचाव पक्ष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त ने गवाही के कठघरे से अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से अपने ही शरीर की रक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए; इसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। जब तक व्यक्तियों का समूह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहा है, तब तक वह अवैधानिक सभा नहीं हो सकता। एक समूह, जो शुरू में वैध हो, आगे चलकर अवैधानिक हो सकता है। जब तक अभियुक्त व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहे थे, तब तक उनका उद्देश्य अवैधानिक नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. **गेंदा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के प्रकरण में, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की तर्क पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकता। यह जानने के लिए कि क्या किसी अभियुक्त को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, संपूर्ण घटना की सावधानीपूर्वक परीक्षण की जानी चाहिए और उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित है। अधिकार की तर्क में (i) अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर या संपत्ति शामिल है; या (ii) किसी अन्य व्यक्ति का; और अधिकार का प्रयोग शरीर के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रकरण में, और संपत्ति के संबंध में चोरी, डकैती, रिष्टि या आपराधिक अतिचार और ऐसे अपराधों के प्रयास के मामले में किया जा सकता है। धारा 99 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएँ निर्धारित करती है। धाराएँ 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं। धारा 96 से 98 और धारा 100 से 106 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दर्शाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो यह आशंका करने के लिए युक्तियुक्त आधार उत्पन्न करती थीं कि उसे मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाई जाएगी।

[3] 2002 दांडिक एल.जे. (एस.सी.)

अभियुक्त पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि उसे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 और 101 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा और विस्तार को परिभाषित करती हैं। कंडिका 13 में निम्नलिखित चेतावनी दी गई है:-

> "13. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से शासकीय विधि यानी भारतीय दंड संहिता द्वारा परिबद्ध एक रक्षात्मक अधिकार है, जो केवल उन्ही परिस्थितियों में उपलब्ध होता है जब परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इसे न्यायोचित ठहराती हैं। इसे किसी प्रतिशोधात्मक, आक्रामक या प्रतिकारात्मक अपराध के बहाने के रूप में प्रस्तुत या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्रतिशोध का नहीं, जिससे अवैध आक्रमण को रोकने की अपेक्षा की जाती है, न कि प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में। इस अधिकार के प्रयोग का प्रावधान करते समय, भा.द.स. में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था न हो और न ही ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है जिसके तहत हमला हत्या का बहाना हो। बचाव के अधिकार में आक्रमण करने का अधिकार शामिल नहीं है, खासकर तब जब बचाव की आवश्यकता ही न रह जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में, यदि हम वर्तमान प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करें, तो यह स्पष्ट होता हैं कि अपीलार्थीगण इस आधार पर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क दे रहे हैं कि अपीलार्थी दीपक को शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घर में बंधक बना लिया गया था और उसके जीवन को खतरा था। अपीलार्थीगण उसे बचाने के लिए, शिकायतकर्ता पक्ष के घर के अंदर गए और जीवलाल, लल्ली और पारस पर हमला किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि जब अपीलार्थीगण और अन्य अभियुक्त घर में दाखिल हुए, तो उनका उद्देश्य उपरोक्त घायल व्यक्तियों की मृत्यु कारित करना था। अधिक से अधिक, यह माना जा सकता है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और इस प्रकार, केवल वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि उन्होंने निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। चूंकि, अभिलेख पर ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य

उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण ने किसी भी तरह से निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और मृतक तथा पारस और लल्ली के शरीर पर मौजूद चोटों के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए वे दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

42. निस्संदेह, यह घटना शिकायतकर्ता पक्ष के घर के अंदर हुई। अपीलार्थीगण का प्रतिरक्षा यह है कि वे दीपक की चीख-पुकार सुनकर शिकायतकर्ता के घर में घुसे, जो समझौते का प्रस्ताव लेकर गया था और जिसे शिकायतकर्ता पक्ष ने रोककर मारपीट किया था। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों से, यह प्रतित होता हैं कि सभी अभियुक्तों ने लाठी, डंडे और तलवार से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता पक्ष के घर पर हमला किया। कुछ अभियुक्त छत पर चढ़ गए और घायल व्यक्तियों पर घातक हथियारों से हमला किया। अपीलार्थीगण के उपरोक्त कृत्य को पूर्व रात्रि में घटी घटना के आलोक में देखा जाना चाहिए जब अपीलार्थीगण और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच विवाद हुआ था और जिसमें अभियुक्त पक्ष के तीन लोगों को कथित रूप से चोटें आई थीं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि 5 से अधिक की संख्या में अभियुक्त व्यक्तियों ने घातक हथियारों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता पक्ष के घर पर हमला किया और मृतक के साथ-साथ दो अन्य घायल गवाहों को भी कई चोटें पहुंचाईं, जिनकी चोट की प्रतिवेदन का विवरण पूर्ववर्ती कंडिका में दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी दीपक को बचाने के लिए घर में घुसे थे और हमारे विचार में, अपीलार्थीगण का प्रमुख उद्देश्य शिकायतकर्ता पक्ष को सबक सिखाना था। इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी मत है कि अपीलार्थीगण को अपराध के प्रतिशोधात्मक, आक्रामक या प्रतिहिंसात्मक उद्देश्य के बहाने के रूप में निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने या तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्रतिशोध का नहीं, जिसकी अपेक्षा अनधिकृत आक्रमण को रोकने के लिए की जाती है, न कि प्रतिशोध के उपाय के रूप में।

43. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, हमारा मत है कि अपीलार्थीगण ने जीवलाल, पारस और लल्ली की हत्या के एक समान उद्देश्य से घातक हथियारों से सुसज्जित होकर शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया और अपने इसी सामान्य

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उद्देश्य के अग्रसरण से, उन्होंने जीवलाल को घातक चोटें पहुँचाईं जिससे उसकी मृत्यु हो गई और लल्ली एवं पारस को भी गंभीर चोटें आईं और इस प्रकार, उन्होंने उनकी जान लेने का प्रयास किया। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की तर्क को विचारण न्यायालय ने उचित रूप से खारिज कर दिया है।

44. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा मत है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थीगण जंगली राम, दिनेश उर्फ दरोगा, धर्मपाल और दिलीप टोप्पो को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452, 302 सहपठित धारा 149 और 307 सहपठित धारा 149 के तहत सही रूप से दोषी ठहराया है।

45. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दीपक की अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452, 302 सहपठित धारा 149 तथा 307 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत उस पर लगाई गई दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं और उसे उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उसे तत्काल रिहा किया जाए यदि किसी अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता न हो, जबकि अपीलार्थीगण जंगली राम, दिनेश उर्फ दरोगा, धर्मपाल और दिलीप टोप्पो के संबंध में अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। अपीलार्थीगण जंगली राम और दिलीप टोप्पो को क्रमशः दिनांक 1-7-2004 और 21-12-2006 के आदेशों द्वारा ज़मानत प्रदान की गई थी। उनके ज़मानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उन्हें तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	**सही/-**
धीरेन्द्र मिश्रा	**आर.एन. चंद्राकार**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Shubham Verma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur